न्यायाधिकारी–ग्राम न्यायालय, नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारी – सतीश फानिन (आर.जे.एस.)
नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या – 14/2024
सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या – 14/2024
सी०एन०आर० नंबर – RJJH140000312024
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 277/2023, पुलिस थाना नवलगढ़

राजस्थान राज्य बनाम राजकुमार खूंट

<u>अपराध अंतर्गत धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता</u>

भाग–प्रथम

A

परिवादी	श्री मुकेश कुमार
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री विकास शर्मा
अभियुक्त का नाम व पता	राजकुमार खूंट पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद, उम्र 25 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 11 सिंगोद खुर्द, पुलिस थाना गोविंदगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री तेजपाल सिंह दूत
अधिवक्ता परिवादी	-----

B

अपराध की दिनांक	26.06.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	05.07.2023
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	17.01.2024
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	17.01.2024
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	18.03.2024
निर्णय दिनांक	15.07.2026
दण्डादेश की दिनांक	--------

C

अभियुक्त का विवरण

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	दिये गये दण्ड का विवरण (यदि को हो तो)	धारा 428 दं.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि
1.	राजकुमार खूंट	–	–	278, 304 ए भा.द.स.	दोषमुक्त	–	–

भाग–द्वितीय

अभियोजन साक्षियों की सूची

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी.डब्ल्यू 1	भींवाराम	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू 2	पंकज कुमार	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 3	राजेंद्र	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 4	भगवानाराम	चश्मदीदगवाह
पी.डब्ल्यू 5	विजेंद्र	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 6	विजेंद्र सिंह	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू 7	नदीम	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू 8	डॉ. विनोद कुमारी	चिकित्सीय गवाह
पी.डब्ल्यू 9	मुकेश कुमार	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू 10	जगदीश प्रसाद	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू 11	सुखवीर	अनुसंधान अधिकारी

अभियोजन प्रदर्शों की सूची

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
01	प्रदर्श पी.01	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी.02	नक्शा मौका घटनास्थल
03	प्रदर्श पी.03	बयान धारा 161 सीआरपीसी भगवानाराम
04	प्रदर्श पी.04	बयान धारा 161 सीआरपीसी विजेंद्र कुमार
05	प्रदर्श पी.05	फर्द जप्ती मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स नंबर

		आरजे 52 एसबी 0707
06	प्रदर्श पी.06	फर्द जप्ती असल कागजात मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स नंबर आरजे 52 एसबी 0707
	प्रदर्श पी.06	पोस्टमार्टम रिपोर्ट **(सहवन से समान प्रदर्श डले)**
07	प्रदर्श पी.07	पोस्टमार्टम करवाने बाबत रिपोर्ट
08	प्रदर्श पी.08	फर्द पंचायतनामा
09	प्रदर्श पी.09	मर्ग रिपोर्ट **(सहवन से समान प्रदर्श डले)**
	प्रदर्श पी.09	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट
10	प्रदर्श पी.10	तहरीर रिपोर्ट
11	प्रदर्श पी.11	चाक एफ.आई.आर.
12	प्रदर्श पी.12	नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट
13	प्रदर्श पी.13	रसीद सुपुर्दगी लाश मृतका बसंती देवी

प्रतिरक्षा

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1.	प्रदर्श डी.01	बयान धारा 161 सीआरपीसी पंकज कुमार
2.	प्रदर्श डी.02	बयान धारा 161 सीआरपीसी राजेंद्र प्रसाद

न्यायालय प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
निल		

:: निर्णय :: **दिनांक: 15.07.2026**

1. संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 05.07.2023 को परिवादी मुकेश कुमार ने एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी माताजी बसंती देवी दिनांक 26.06.2023 को सुबह 10.30 बजे अपने ससुराल से अपने पीहर बदराना जोहड़ नवलगढ़ जा रही थी। झुंझुनूं–सीकर हाईवे पर पणिहारी होटल के पास बांयी तरफ पैदल चल रही थी तो अचानक एक मोटरसाइकिल तेज गति व लापरवाही से लहराती हुई आयी और उसकी माता जी के टक्कर मार दी जिससे उसकी माता जी के सिर व पेट में गंभीर चोट आयी। आस पड़ोस के व्यक्ति ने फोन करके उसको व उसकी माताजी के पीहरवालों को फोन करके बताया। तब उसकी माता जी को जांगिड़ हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया। गंभीर चोट होने के कारण उसकी माताजी को सीकर रैफर कर दिया गया। वहां के चिकित्सकों ने गंभीर चोट बताकर उन्हें एसएमएस जयपुर रैफर कर दिया। इलाज के दौरान दिनांक 28.06.2023 को रात्रि 02 बजे उसकी माताजी की मृत्यु हो गयी। उसकी माताजी की मृत्यु सिर में गंभीर चोट आने के कारण हुई है। प्रार्थी अपनी माताजी के इलाज में व्यस्त होने के कारण रिपोर्ट देरी से दर्ज करवा सका, इत्यादि.......।"

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 277/2023 अन्तर्गत अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.01.2024 को पेश किया गया, जिस पर उक्त धाराओं में दिनांक 17.01.2024 को प्रसंज्ञान लिया गया।

3. अभियुक्त को धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता का आरोप सारांश दिनांक 17.01.2024 को मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने जुर्म से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या–02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान करवाये गये व पृष्ठ संख्या–02 व 03 पर भाग 'अ' में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

5. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना व झूंठा फंसाया जाने का कथन किये है एवं प्रतिरक्षा में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन मामला अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित हाने के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजायाब किये जाने का निवेदन किया।

7. वहीं, दूसरी ओर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया है कि प्रकरण में गवाहान के बयान विरोधाभासी है। परिवादी एवं चक्षुदर्शी साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

8. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

9. उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न बिन्दु विचारणीय हैः–

(1) आया अभियुक्त ने दिनांक 26.06.2023 को समय सुबह करीब 10.30 बजे पणिहारी होटल नवलगढ़ के पास मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स नंबर आरजे 52 एसबी 0707 को तेजगति, उपेक्षापूर्ण व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन को संकटापित करते हुए पीछे से परिवादी की माता बसंती देवी को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप परिवादी की माता बसंती देवी की मृत्यु कारित हुई?

(2) यदि हां, तो उसका उचित दण्ड क्या होगा ?

10. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में यदि पत्रावली पर आई साक्ष्य का समग्र विवेचन किया जावे तो न्यायालय को धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता को प्रमाणित करने हेतु यह देखना है कि क्या अभियुक्त राजकुमार द्वारा वाहन मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स नंबर आरजे 52 एसबी 0707 को चलाया जा रहा था। इसके संबंध में एफ.आई.आर. में यह कथन किये गये हैं कि परिवादी की माताजी बसंती देवी दिनांक 26.06.2023 को सुबह 10.30 बजे अपने ससुराल से अपने पीहर बदराना जोहड़ नवलगढ़ जा रही थी। झुंझुनूं–सीकर हाईवे पर पणिहारी होटल के पास बांयी तरफ पैदल चल रही थी तो अचानक एक मोटरसाइकिल तेज गति व लापरवाही से लहराती हुई आयी और उसकी माता जी के टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल चालक राजकुमार रींगस है।

10.1 उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में यदि पत्रावली पर आई साक्ष्य का समग्र विवेचन किया जावे तो इस संबंध में अभियोजन पक्ष के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रकरण के शिकायतकर्ता मुकेश कुमार को परीक्षित नहीं करवाया है तथा उक्त गवाह की मृत्यु हो जाने से तलबी बंद की गयी है। प्रकरण के चक्षुदर्शी गवाह पी०डब्ल्यू–02 पंकज कुमार को अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाया है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि दिनांक 26.06.2023 को समय करीब दस बजे वह और विजेंद्र घुमचक्कर से जोहड़ की तरफ पैदल–पैदल जा रहे थे। उनके आगे बसंती देवी चल रही थी। तब एक मोटरसाइकिल जिसके नंबर आरजे 52 एसबी 0707 तेजगति से पीछे से आयी और बसंती देवी के टक्कर मार दी। घटनास्थल पर भगवानाराम और राजेंद्र भी आ गये थे। उसने मोटरसाइकिल चालक को रोका और उसने नाम पूछा तो उसने अपना नाम राजकुमार निवासी खूंटा वाली ढाणी, गोविंदगढ़ का होना बताया। उसके बाद वे बसंती देवी को राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़ लेकर गये। बसंती देवी के परिवारवालों को उन्होंने सूचना दी। गंभीर हालत होने के कारण उन्हें सीकर रैफर कर दिया गया। उसने बसंती देवी के पुत्र को मोटरसाइकिल चालक का नाम व पता बताया। एक्सीडेंट तेजगति व लापरवाही से चलाते हुए रॉग साइड में पीछे से आकर किया गया था। उसके सामने पुलिस वालों ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह उक्त गवाह यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 25.06.2023 को जिस आदमी के यहां मजदूरी की थी उसी के 27.06.2023 को मजदूरी की थी तथा दिनांक 26.06.2023 को वह मजदूरी पर नहीं गया था। विजेंद्र भी उसके साथ ही मजदूरी करता है। वह और विजेंद्र दोनों सड़क पर बराबर चल रहे थे। बसंती देवी उनसे करीब 150 फीट आगे चल रही थी। यह सही है कि वे और बसंती देवी रोड पर सही दिशा में चल रहे थे। यह सही है कि मोटरसाइकिल अपनी सही दिशा में चल रहा थी। मोटरसाइकिल के आगे–पीछे जो गाड़िया चल रही थी वह नार्मल स्पीड से चल रही थी। सबसे पहले मौके पर वे ही पहुंचे थे। मोटरसाइकिल की टक्कर से बसंती देवी अलग गिर गयी थी और मोटरसाइकिल अलग गिर गयी थी। चालक का घुटना छिल गया था। मुलजिम के पहचान का कोई डॉक्यूमेंट उसने नहीं देखा। उसने बताये अनुसार ही राजकुमार नाम बताया है अगर उसने गलत नाम बताया हो तो यह वह नहीं बता सकता। मुकेश आधा पौन घंटे बाद आया था। अस्पताल वह, राजेंद्र प्रसाद, विजेंद्र और गाड़ी का चालक गये थे। बसंती को अस्पताल

उनकी ढाणी की गाड़ी में डालकर ले गये थे। उक्त गाड़ी के ड्राईवर को उसने ही मौके पर बुलाया था।

10.2 घटना के अन्य चक्षुदर्शी गवाह पी०डब्ल्यू–03 राजेंद्र ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि दिनांक 26.06.2023 की सुबह 10.30 बजे की बात है। वह और भगवानाराम पैदल जा रहे थे। उनके आगे उनकी बहन बसंती देवी चल रही थी। तब एक मोटरसाइकिल नंबर आरजे 52 7007 तेजगति से पीछे से आयी और बसंती देवी के टक्कर मार दी। घटनास्थल पर पंकज और विजेंद्र भी आ गये थे। उन्होंने मोटरसाइकिल चालक को रोका और उसने नाम पूछा तो उसने अपना नाम राजकुमार निवासी खूंटा वाली ढाणी, गोविंदगढ़ का होना बताया। उसके बाद वे बसंती देवी को राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़ लेकर गये। बसंती देवी के परिवारवालों को उन्होंने सूचना दी। गंभीर हालत होने के कारण उन्हें सीकर रैफर कर दिया गया।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किया है कि बसंती देवी उसकी बड़ी बहन है। दिनांक 26.06.2023 को वह घुमचक्कर पर यूरिया लेने जा रहा था। उसका बड़ा भाई भगवानाराम भी उसके साथ था जो राशन लेने हुए आया हुआ था। बसंती देवी उनसे 100 मीटर आगे थी। मोटरसाइकिल अपनी सही दिशा में चल रही थी। मोटरसाइकिल के आगे–पीछे कोई साधन नहीं था। घटनास्थल पर सबसे पहले वह और उसका भाई पहुंचे थे। पंकज और विजेंद्र घटनास्थल पर 05–10 मिनट बाद पहुंच गये थे। मोटरसाइकिल टक्कर मारने के बाद बसंती देवी के पास पड़ी थी और चालक आगे जाकर खड़ा था। बसंती देवी सिर और पेट में लगी थी। मोटरसाइकिल चालक का नाम उसके बड़े भाई भगवानाराम ने पूछा था तब उन्होंने सुना था। चालक के पहचान का कोई दस्तावेज उन्होंने नहीं देखा। यह सही है कि यदि मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम व पता गलत बता दिया हो तो उसे पता नहीं। पंकज ने उसे मोटरसाइकिल के नंबर आरजे 52 705 बताये थे उसके आधार पर ही उसने पुलिस को मोटरसाइकिल के नंबर बताये थे। उसने बसंती देवी के पोते कृष्ण को फोन किया था। बसंती देवी को अस्पताल टैक्सी में लेकर गये थे जिसके नंबर व टैक्सी चालक का उसे पता नहीं है। यह सही है कि बसंती देवी उसकी बहन लगती है इसलिए वह आज बयान देने आया है।

10.3 घटना के अन्य चक्षुदर्शी गवाह पी०डब्ल्यू–04 भगवानाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि उसने दिनांक 26.06.2023 को सुबह साढ़े दस बजे मोटरसाइकिल नंबर आरजे 52 एसबी 0707 से बसंती देवी का एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा। **सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि उसके पुलिस में बयान हुए थे। उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी 03 का ए से बी व सी से डी हिस्सा उसने पुलिस को नहीं लिखवाया। यह गलत है कि उसने कोई घटना होते हुए देखी। यह कहना गलत है कि उसने मोटरसाइकिल चालक का नाम पूछा हो और उसने अपना नाम राजकुमार बताया हो। उसे पता नहीं है कि दुर्घटना मोटरसाइकिल चालक की गलती व लापरवाही से हुई हो।

10.4 घटना के अन्य चक्षुदर्शी गवाह पी०डब्ल्यू–05 विजेंद्र ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि दिनांक 26.06.2023 को 10–10.30 बजे वह और पंकज पास की दुकान से ढाणी आ रह थे उनके आगे उनकी भुआ बसंती चल रही थी। पीछे से मोटरसाइकिल आरजे 52 एसबी

0707 आयी थी। मोटरसाइकिल डाइवर को उसने नहीं देखा कि वह किस तरह मोटरसाइकिल चला हा था। उसने कोई एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा। **सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुए थे। उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी 04 का ए से बी व सी से डी हिस्सा उसने पुलिस को नहीं लिखवाया। यह कहना गलत है कि मोटरसाइकिल चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही से चलाते हुए गलत दिशा में जाकर बसंती देवी के टक्कर मारकर एक्सीडेंट किया हो। वह राजकुमार को नहीं जानता। उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 बनाया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 02 पर क्या लिखा उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने ना तो ड्राईवर को देखा, ना ही उसका नाम पूछा।

10.5 घटना के अन्य गवाह पी०डब्ल्यू–06 विजेंद्र सिंह व गवाह पी०डब्ल्यू–07 नदीम अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि उनके सामने पुलिस ने मोटरसाइकिल हीरो डिलक्स आरजे 52 एसबी 0707 को जप्त नहीं किया था, ना ही वाहन के मूल कागजात जप्त किए थे। **सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाहान को हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

दौराने जिरह उक्त गवाहान ने कथन किया है कि फर्द जप्ती मोटरसाइकिल आरजे 52 एस बी 0707 प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी गवाह विजेंद्र सिंह के व सी से डी गवाह नदीम के हस्ताक्षर है।

10.6 घटना के अन्य गवाह पी०डब्ल्यू–09 मुकेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि उसके पास एक मोटरसाइकिल थी जिसके नंबर आरजे 52 एस बी 0707 थे। उसे पुलिस ने बुलाया था। मोटरसाइकिल व उसके कागज को पुलिस ने जप्त किया था या नहीं उसे यह पता नहीं है। **सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाहान को हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किए हैं कि फर्द जप्ती मोटरसाइकिल प्रदर्श पी 05 व फर्द कागजात प्रदर्श पी 06 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसे नोटिस देकर मोटरसाइकिल चालक का नाम नहीं पूछा। नोटिस प्रदर्श पी 09 पर ए से बी उसका जवाब व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने प्रदर्श पी 09 नोटिस उसे नहीं दिया। पुलिस ने उसे थाने बुलाकर खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे। उनमें क्या लिखा था उसे पता नहीं है। प्रदर्श पी 09 पर ए से बी इबारत उसके कलमी नहीं है। दिनांक 26.06.2023 को उसकी मोटरसाइकिल घर पर थी। पुलिस ने प्रदर्श पी 05 व प्रदर्श पी 06 पर क्या लिखा उसे पता नहीं है।

10.7 घटना के अन्य गवाह पी०डब्ल्यू–08 डॉ विनोद कुमारी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 29.06.2023 को एसएमएस अस्पताल जयपुर में मेडिकल ज्यूरिष्ठ के पद पर पदस्थापित थी। उस दिन श्री जगदीश एचसी 855 थाना एसएमएस जयपुर की तहरीर एवं पंचायतनामा उसके सामने पेश करने पर उसके द्वारा मृतका बसंती देवी पत्नी बालूराम के मृत शरीर का शव परीक्षण किया गया। शव परीक्षण प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी उसकी राय व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसकी राय में मृतका की मृत्यु का कारण मृत्यु से पूर्व सिर में लगी चोट

से उत्पन्न कॉमो से होना पाया गया था जो कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु के लिए पर्याप्त था। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 है। पंचनामा प्रदर्श पी 08 है।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किया है कि मृतका के शरीर पर आई उक्त चोटें मृत्यु से पूर्व दो से तीन दिन के भीतर की थी। मृतका के सिर में जो चोट लगी थी वह किसी लोहे के सरिये से आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

10.8 घटना के अन्य गवाह भींवाराम को पी०डब्ल्यू–01 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि दिनांक 02.08.2023 को पुलिस थाना नवलगढ़ वह चालक के पद पर कार्यरत था। उस रोज उसने जप्त वाहन मोटरसाइकिल संख्या आरजे 52 जीबी 0707 का मैकेनिकल मुआयना किया था जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा वाहन को चलाकर देखा गया तब हॉर्न, लाइट, ब्रेक, गियर इत्यादि सही थे। वाहन चालू हालत में था कोई यांत्रिक खराबी नहीं थी।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किया है कि वह एमटीआ़ नहीं है। वह चालक है। मैकेनिकल मुआयना करने के लिए तहरीर जारी की गयी थी वह पत्रावली पर नहीं है। यह कहना सही है कि उसके द्वारा मोटरसाइकिल का मैकेनिकल मुआयना घटना के एक महीने छः दिन बाद किया गया था। यह सही है कि एक महीने में गाड़ी को रिपेयर किया जा सकता है।

10.9 घटना का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–10 जगदीश प्रसाद** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि दिनांक 29.06.2023 को वह पुलिस थाना एसएमएस चौकी में एचसी के पद पर पदस्थापित था। उस रोज बसंती देवी के परिजनों के बताये अनुसार आरटीए में चोटग्रस्त होने पर बांगड हॉस्पीटल एसएमएस में भर्ती हुई थी जिसकी दिनांक 29.06.2023 को मृत्यु हो गयी थी जिसका पंचायतनामा तैयार कर लाश परिजनों को सुपुर्द की थी। फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 08 है जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच गवाहों के तथा आई से जे उसके हस्ताक्षर है। बिना नंबरी मर्ग एफआईआर प्रदर्श पी 09 है। मेडिकल ज्यूरिष्ठ की तहरीर प्रदर्श पी 07 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किए हैं कि नवलगढ़ थाने में एफआइआर दर्ज होने से पहले फर्द पंचनामा तैयार हो गया था। मृतका बसंती देवी की मृत्यु किस कारण से वह नहीं बता सकता।उसके परिजनों के बताये अनुसार उसने बताया है कि आरटीए में चोटग्रस्त होने से मृत्यु हुई है। मृतका के कोई जाहिरा चोट नहीं थी।

10.10 घटना के अनुसंधान अधिकारी गवाह **पी०डब्ल्यू–11 सुखवीर** अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि दिनांक 05.07.2023 को पुलिस थाना नवलगढ़ में वह हैड कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस रोज परिवादी मुकेश कुमार ने उपस्थित थाना होकर एक टाईपशुदा आईसी थाना इन्चार्ज श्री रतन लाल एएसआई के समक्ष पेश की थी जिस पर मुकदमा नम्बर 277/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304 ए आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान हेतु पत्रावली उसे सुपुर्द की। टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी परिवादी के तथा सी से डी आईसी थाना इन्चार्ज के हस्ताक्षर व ई से एफ कार्यवाही पुलिस अंकित है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 11 है,

जिस पर ए से बी परिवादी के तथा सी से डी आईसी थाना इन्चार्ज के हस्ताक्षर है जिनके अधीनस्थ कार्य करने के कारण वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। दौराने अनुसंधान उसने घटना स्थल पर जाकर मौत बीरान के समक्ष घटना स्थल का नक्शा मौका जो प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ गवाह के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। पुस्त पर आई से जे हालात मौका अंकित है तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान उसने बयान गवाहन मुकेश कुमार, पंकज, विजेन्द्र कुमार, राजेन्द्र प्रसाद, भगवानाराम के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये। दुर्घटनाकारित मोटरसाइकिल नम्बर आर जे 52 एस बी 0707 को जरिये फर्द जप्त किया गया था, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 05 है व उक्त गाडी के असल कागजात, आरसी, इश्योंरेश व डीएल चालक राजकुमार खूंट का भी उसके द्वारा जप्त किया गया था जिनकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 06 है जिन पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ गवाहों के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। जप्तशूदा मोटरसाइकिल नम्बर आर जे 52 एस बी 0707 के आरसी मालिक मुकेश कुमार को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किया गया जो प्रदर्श पी 09 है, जिस पर ए से बी उसका जवाब व सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। जवाब में उसने वक्त घटना राजकुमार को चालक होना बताया। चालक राजकुमार को धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किया गया जो प्रदर्श पी 12 है, जिस पर ए से बी उसका जवाब व सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसने अपने जवाब में स्वयं को चालक होना बताया। दुर्घटनाकारित मोटरसाइकिल नम्बर आर जे 52 एस बी 0707 का मैकेनिकल मुआयाना भींवाराम कानि एमटीओ से करवाकर मैकेनिल मुआयाना रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी रिपोर्ट तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। बिना नम्बरी मर्ग एफआईआर फर्द पंचायतनामा व रसीद शामिल पत्रावली किया जो प्रदर्श कमशः पी 09, पी 08 व सुपुर्दगी लाश को प्राप्त कर पी 13 है। मृतका बंसती देवी का पोस्टमार्टम एसएमएस अस्पताल जयपुर में तैयार हुआ था, शामिल पत्रावली किया जो प्रदर्श पी 06 है। एमजे तहरीर प्रदर्श पी 07 जिसे प्राप्त कर है। सम्पूर्ण तफतीश से उसने अभियुक्त राजकुमार के विरुद्ध धारा 279, 304 ए आईपीसी का अपराध पूर्णतः प्रमाणित मानकर उक्त धाराओं आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किए हैं कि तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 उसके समक्ष पेश नहीं हुई इसलिए वह यह नहीं बता सकता कि उक्त रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गयी थी और किसके समक्ष पेश हुई थी। यह सही है कि एफआईआर प्रदर्श पी 11 घटना के दस दिन बाद दर्ज हुई थी। यह सही है कि तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 में मोटरसाइकिल के कोई नंबर नहीं लिखे हुए हैं। यह सही है कि घटना पणिहारी होटल के पास बतायी है। यह सही है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 में उसने पणिहारी होटल को नहीं दिखाया है। यह सही है कि उसने पणिहारी होटल के मालिक के बयान नहीं लिए। यह भी सही है कि मोटरसाइकिल अपनी सही दिशा में जा रहा था। यह सही है कि बसंती देवी के साथ कोई व्यक्ति था अथवा नहीं इसके संबंध में उसके द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। यह सही है कि जब वह नक्शा मौका की कार्यवाही करने घटनास्थल पर गया तो वहां पर उसे किसी प्रकार के निशानात नहीं मिले। यह सही है कि प्रदर्श पी 10 में घटना देखने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम परिवादी के द्वारा दर्ज नहीं करवाया गया। परिवादी उसके पास गवाहान के बयान दर्ज करवाने के लिए व्यक्तियों को लेकर आया था और कुछ के बयान उसने लिए थे। यह सही है कि किसी भी गवाहान ने अपने बयानों में मोटरसाइकिल की स्पीड नहीं बतायी।

11. हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष प्रथम विचारणीय बिन्दू यह है कि क्या अभियुक्त राजकुमार ने दिनांक 26.06.2023 को सुबह 10.30 बजे पणिहारी होटल नवलगढ़ के पास मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स नंबर आरजे 52 एसबी 0707 को तेजगति, उपेक्षापूर्ण व लापरवाही से चलाकर परिवादी की माता बसंती देवी को पीछे से टक्कर मार दी जिसके परिणामस्वरूप परिवादी की माता बसंती देवी की मृत्यु हो गयी। इस संबंध में **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संग्राम सिंह बनाम राजस्थान राज्य–आर.एल.आर. 1990(2) राज. हाईकोर्ट पेज नं.–726** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन को सर्वप्रथम यह तथ्य सिद्ध करना होता है कि दुर्घटना के समय संबंधित वाहन अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था, तत्पश्चात ही यह प्रश्न उठता है कि क्या अभियुक्त दुर्घटना के समय वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण तरीके से चला रहा था। उक्त बिंदू के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट आता है कि अभियोजन की ओर से परिवादी मुकेश कुमार को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाया गया है। घटना के चक्षुदर्शी गवाह पीडब्ल्यू 02 पंकज कुमार ने घटना के दिन मजदूरी पर नहीं जाने का कथन किया है तथा विजेंद्र का उसके साथ बसंती देवी के 150 फीट पीछे चलने का कथन किया है। इस संबंध में अगर गवाह पीडब्ल्यू 05 विजेंद्र की साक्ष्य का अवलोकन करें तो वह प्रकरण में पक्षद्रोही साक्षी घोषित हुआ है तथा उसने कोई भी एक्सीडेंट देखे जाने से इंकार किया है। इसके अतिरिक्त अन्य चक्षुदर्शी साक्षी राजेंद्र द्वारा उसके बड़े भाई भगवानाराम के साथ बसंती देवी के सौ मीटर पीछे चलने का कथन किया है तथा यह भी कथन किया है कि सर्वप्रथम घटनास्थल पर वह तथा भगवानाराम ही पहुंचे थे। उक्त गवाह मोटरसाइकिल चालक का नाम उसके बड़े भाई भगवानाराम के द्वारा पूछे जाने का कथन करता है। इसके विपरीत अगर गवाह पीडब्ल्यू 04 भगवानाराम की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उक्त गवाह प्रकरण में पक्षद्रोही साक्षी घोषित हुआ है। उक्त गवाह ने कोई भी एक्सीडेंट नहीं देखे जाने तथा मोटरसाइकिल चालक का नाम नहीं पूछे जाने का कथन किया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित चार चक्षुदर्शी गवाहों में से दो पक्षद्रोही साक्षी घोषित हुए हैं तथा विरोधाभासी कथन किए हैं। इसके अतिरिक्त लिखित रिपोर्ट में दुर्घटनाकारित वाहन के नंबर अंकित नहीं है, ना ही दुर्घटना देखे जाने वाले व्यक्तियों के नाम अंकित है। घटना की रिपोर्ट घटना के नौ दिन बाद पेश की गयी है जिसके संबंध में भी अभियोजन की ओर से को ई युक्तियुक्त कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से जिस मोटरसाइकिल द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने का कथन किया है उसका मैकेनिकल मुआयना भी एक महीने बाद किया गया है जिससे भी उक्त वाहन से दुर्घटना कारित होना के तथ्य पर संदेह उत्पन्न होता है।

11.1 इसके अतिरिक्त चालक अभियुक्त राजकुमार खूंट होने के संबंध में धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी 09 तथा नोटिस धारा 134 एम.वी.एक्ट प्रदर्श पी–12 का प्रश्न है तो धारा 133 तथा धारा 134 एम.वी.एक्ट के नोटिस के साथ ही पत्रावली पर अवस्थित गवाहों के कथनों से भी यह साबित होना आवश्यक है कि बरवक्त घटना अभियुक्त ही दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक था। उक्त के संबंध में **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत राजस्थान सरकार बनाम कैलाशचंद, क्रिमिनल अपील संख्या 610/2011** में न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि धारा 133 एम.वी.एक्ट के जवाब के साथ अन्य साक्ष्य भी पत्रावली पर उपलब्ध होना चाहिए, जिससे यह तथ्य साबित होता हो कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को

अभियुक्त द्वारा ही चलाया जा रहा हो। धारा 133 एम.वी.एक्ट के जवाब को केवल सम्पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है। उक्त मार्गदर्शन में केवल मात्र धारा 133 तथा धारा 134 एम.वी.एक्ट के नोटिस के आधार पर अभियुक्त की उपस्थिति बरवक्त घटना सुनिश्चित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि घटना के वक्त मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स नंबर आरजे 52 एसबी 0707 का चालक अभियुक्त राजकुमार खूंट ही हो।

11.2 इस प्रकार समग्र साक्ष्य के विष्लेषण से प्रकरण में ना तो मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स नंबर आरजे 52 एसबी 0707 से दुर्घटना कारित होना प्रमाणित हुआ है, ना ही बरवक्त घटना अभियुक्त राजकुमार खूंट द्वारा उक्त मोटरसाइकिल को चलाया जाना प्रमाणित हुआ है। अतः जहां अभियुक्त राजकुमार खूंट द्वारा बरवक्त घटना मोटरसाइकिल चलाया जाना प्रमाणित नहीं हुआ वहां उक्त मोटरसाइकिल को तेजगति, लापरवाही एवं उपेक्षा से चलाया जाकर बसंती देवी के पीछे से टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने के तथ्य पर साक्ष्य का विवेचन किया जाना आवश्यक नहीं रह जाता है।

12. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त राजकुमार खूंट के विरुद्ध अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 26.06.2023 को सुबह 10.30 बजे पणिहारी होटल नवलगढ़ के पास मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स नंबर आरजे 52 एसबी 0707 को तेजगति, उपेक्षापूर्ण व लापरवाही से चलाकर परिवादी की माता बसंती देवी को पीछे से टक्कर मार दी जिसके परिणामस्वरूप परिवादी की माता बसंती देवी की मृत्यु हो गयी। ऐसी स्थिति में अभियुक्त राजकुमार खूंट को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

–आदेश–

13. एतदद्वारा **अभियुक्त राजकुमार खूंट पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद, उम्र 25 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 11 सिंगोद खुर्द, पुलिस थाना गोविंदगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान को धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अपनी उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभू एवं बंधपत्र उन्मोचित किये जाते है।

13.1 अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (क) के प्रावधानों की पालना में 06 माह की अवधि के लिये प्रभावी स्वयं का 10,000 रूपये का बंधपत्र एवं इसी राशि की प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि की पेश करे।

13.2 प्रकरण में जब्तशुदा वाहन व वाहन संबंधी कागजात यदि सुपुर्दगी पर दिये गये हैं तो सुपुर्दगीदार के पास ही रहे। वाहन से संबंधित सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः निरस्त समझा जावे। अन्य जप्तशुदा वाहन अथवा कागजात नियमानुसार वैध रूप से हकदार व्यक्ति को बाद गुजरने मियाद अपील दिया जावें।

14. निर्णय आज **दिनांक 15 जुलाई, 2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया और हस्ताक्षरित किया जाकर मुद्रांकित किया गया। निर्णय की एक प्रति अविलंब सीआईएस पर अपलोड की जावे।

(**सतीश फानिन**)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, नवलगढ
जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.17 11:53:33 IST